कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

परिपत्र

छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिये जाने के संबंध में आवश्यकनिर्देश

विभिन्न स्रोतों एवं समाचार पत्रों से लगातार जानकारी एवं सूचना मिलती रहती है कि विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रकार के शारीरिक दण्ड दिये जाते हैं, कई प्रकरणों में शारीरिक दण्ड की मात्रा सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है जिसके फलस्वरूप छात्र–छात्राओं को भारी शारीरिक एवं मानसिक हानि होती है।

शारीरिक दण्ड देना मानवीय अधिकारों का सीधा उल्लंघन है तथा कानूनी रूप से वर्जित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी 1 दिसम्बर, 2000 को इस संबंध में सभी राज्यों को बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं न देने के संबंध में निर्देश जारी किये थे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि

(1.) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन नहीं किया जाएगा।
(2.) जो कोई उप धारा 1 के उपबन्धों का उल्लघंन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का दायी होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार बच्चों को विद्यालयों में शारीरिक दण्ड नहीं बल्कि स्वतंत्र एवं गौरवपूर्ण, भयमुक्त वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी उपाय किये जावे कि अध्ययनरत बालक–बालिकाओं पर उक्त वर्णित एवं किसी भी तरह के शारीरिक दण्ड के कृत्यों पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगायें। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें:–

1. राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यलयों में अध्ययनरत सभी बालक–बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं के विरूद्ध सजग किया जावे, उनमें इतना विश्वास जागृत किया जाये कि वे इस प्रकार के कृत्यों की शिकायत सक्षम अधिकारियों को कर सकें।
2. प्रत्येक राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय, छात्रावास एवं बच्चों हेतु अन्य जन संस्थान में एक फोरम संस्थापित की जावे जहां बच्चे अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक प्रस्तुत कर सकें। इसमें गैर सरकारी संगठनों की सहायता भी ली जा सकती है।
3. प्रत्येक राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय में संस्था प्रधान कक्ष के बाहर एक शिकायत पेटिका रखी जाये जिसमें बालक अपनी शिकायत बिना भय के लिखित रूप से इसमें डाल सके। संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह प्रतिदिन उस पेटिका को खोलकर उसमें प्राप्त शिकायत पर तुरन्त जांच कर कार्यवाही करें।
4. शिक्षक–अभिभावक संघ की प्रत्येक माह बैठक रखी जावे एवं प्राप्त शिकायतों की बिना किसी भेदभाव के समीक्षा कर शिकायतों पर कार्यवाही करें, इसके अलावा विद्यालय प्रबन्धन समिति को प्राप्त इस तरह की परिवेदनाओं को कार्यवाही ऐजन्डा में सम्मिलित करते हुए आगामी बैठक में अनिवार्यतः इस पर कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. शिक्षक–अभिवाक संघ एवं विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को इस प्रकार की शिकायतों के प्रति सजग रहने एवं इन पर त्वरित कार्यवाही हेतु उत्साहित किया जावे।
6. अभिभावकों एवं बच्चों को शारीरिक यत्रणाओं के विरूद्ध बिना किसी भय के बोलने हेतु इजाजत दी जावे।
7. पंचायत समिति एवं जिला स्तर के अधिकारी शिक्षा संवाद की बैठकों में विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को शारीरिक दंड एवं मानसिक यातनाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर अविलम्ब जांच कर दोषी के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।
8. प्रधानाध्यापक वाक्पीठ एवं शिक्षक संगोष्ठियों में शिक्षकों को बालक बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक यातनाऐं न देने के लिए प्रेरित किया जाये।
9. किसी दुर्बल वर्ग एवं असुविधग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को कक्षा में दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में अलग न रखा जाये तथा उनके विरुद्ध विभेद न किया जाए।

---2 पर---

शारीरिक दण्ड के फलस्वरूप छात्र–छात्राओं को शारीरिक एवं मानसिक क्षति तो होती ही है, साथ ही अभिभावकों के आक्रोश के कारण कई बार कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बिगड जाती है। इन घटनाओं का समाचार पत्रों एवं मीडिया में प्रचार होने से विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

इस परिपत्र के द्वारा समस्त मंडल अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों को कठोर निर्देश जारी करें कि किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र–छात्रा को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जावे न ही कोई ऐसी प्रकिया अपनाई जाये जिससे छात्र छात्रा मानसिक रूप से कुंठित हो।

इन निर्देशों के विपरीत यदि किसी विद्यालय में छात्र छात्राओं को शारीरिक दण्ड देने का प्रकरण प्रकाश में आता है **तो संबंधित अध्यापक/अध्यापिका,प्रधानाध्यापक एवं उनके तत्कालिक नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।**

27/12

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/परिवेदना/16853/12–13/21 दिनांकः– 31-12-12

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना), स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प.21(9)प्राशि/आयो/2012 दिनांक 21.11.12 के कम में।
2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् शिक्षा संकुल, जयपुर को उनके पत्रांक राप्राशिप/जय/आर.टी.ई/2012/11976–77 दिनांक 27.11.12 के कम में।
3. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ....।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा ....।
5. अनुभाग अधिकारी शिक्षक संस्थापन/शैक्षिक/सतर्कता अनुभाग।
6. वरिष्ठ संपादक शिविरा पत्रिका, प्रकाशन अनुभाग को प्रकाशनार्थ सात प्रतियों में।

उप निदेशक(आर.टी.ई)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर